



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943

No. 2494]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2692(अ).—होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 18 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करती है, नामतः—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड; और

(ग) होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड।

2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की संरचना में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत (अध्यक्ष और चार सदस्य)		
1.	डॉ तारकेश्वर जैन, विभाग प्रमुख, मटेरिया मेडिका विभाग, डॉ. एम.पी.के. होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज, जयपुर	अध्यक्ष
2.	रिक्त	सदस्य
3.	रिक्त	सदस्य

4.	रिक्त	सदस्य
5.	रिक्त	सदस्य

3. होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड के गठन में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
धारा 19 की उप-धारा (1) के उप-खंड(ख) के तहत (अध्यक्ष और दो सदस्य)		
1.	डॉ. के. आर. जनार्दन नायर, वरिष्ठ परामर्शदाता, होम्योपैथी विभाग, मार स्लीवा मेडिसिटी, पलाई और पूर्व प्राचार्य, राष्ट्रीय होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम	अध्यक्ष
2.	रिक्त	सदस्य-होम्योपैथी
3.	रिक्त	सदस्य-प्रत्यायन विशेषज्ञ

4. होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड के गठन में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड(ग) के तहत (अध्यक्ष और दो सदस्य)		
1.	डॉ. पिनाकिन एन. त्रिवेदी, निदेशक, श्रीमती ए.जे. सवला होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज, मेहसाणा	अध्यक्ष
2.	रिक्त	सदस्य – होम्योपैथी
3.	रिक्त	गैर-होम्योपैथी सदस्य

5. पैरा 2 से 4 में उल्लिखित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष 05 जुलाई, 2021 की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. आर-21011/10/2021-ईपी-III]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2692(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby constitutes the following Autonomous Boards, namely:—

- (a) the Homoeopathy Education Board;
- (b) the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy; and
- (c) the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

2. The composition of the Homoeopathy Education Board shall consist of the following, namely: —

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
under clause (a) of sub-section (1) of section 19 (President and four Members)		
1.	Dr.Tarkeshwar Jain, Head Of Department, Department of Materia Medica,	President;

	Dr.M.P.K.Homoeopathic Medical College, Jaipur	
2.	Vacant	Member;
3.	Vacant	Member;
4.	Vacant	Member;
5.	Vacant	Member.

3. The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall consist of the following, namely:—

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
under clause (b) of sub-section (1) of section 19		
1.	Dr.K.R.Janardanan Nair, Senior Consultant, Department Of Homoeopathy, Mar Sleeva Medicity, Palai And Former Principal, National Homoeopathy Research Institute In Mental Health, Kottayam.	President;
2.	Vacant	Member-Homoeopathy;
3.	Vacant	Member- Accreditation expert.

4. The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall consist of the following, namely:—

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
under clause (c) of sub-section (1) of section 19		
1.	Dr.Pinakin N. Trivedi, Director, Smt. A.J.Savla Homoeopathic Medical College, Mehsana	President;
2.	Vacant	Member-Homoeopathy;
3.	Vacant	Non Homoeopathy-Member.

5. The President of each Autonomous Boards referred to in paragraph 2 to 4, shall hold office for a term of four years or until further order whichever is earlier, with effect from 5th day of July, 2021.

[F. No. R-21011/10/2021-EP-III]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2693(अ).—होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 1 की उपधारा(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 05 जुलाई, 2021 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन से अनुभागों के 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58 और 59 प्रभावी होंगे।

[फा. सं. आर-21011/10/2021-ईपी-III]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 1 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby appoints 5th day of July, 2021, as the date on which the provisions of sections 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, and 59 shall come into force.

[F. No. R-21011/10/2021-EP-III]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2694(अ).— राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 3 की उप धारा (1) और धारा 4 और 6 के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन करती है, नामतः—

2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की संरचना में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. अनिल खुराना, महानिदेशक, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और अध्यक्ष, शासक मंडल, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद	अध्यक्ष
धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत		
1.	डॉ. तारकेश्वर जैन, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष;	पदेन सदस्य
2.	डॉ. के.आर. जानार्दनन नायर, होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष	पदेन सदस्य
3.	डॉ. पिनाकिन एन. त्रिवेदी, होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड के अध्यक्ष	पदेन सदस्य
4.	भारत सरकार के सलाहकार (होम्योपैथी) अथवा संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी के प्रभारी	पदेन सदस्य
5.	निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	पदेन सदस्य
6.	निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	पदेन सदस्य
7.	महानिदेशक, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, जनकपुरी, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अंतर्गत		
1.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
2.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
3.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अंतर्गत		
1.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
2.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
3.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
5.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
6.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य

7	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
8	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
9	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
10	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अंतर्गत		
1	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
2	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
3	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
4	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
5	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
6	रिक्त	अंशकालिक सदस्य

6. आयोग 05 जुलाई, 2021 से प्रवृत्त होगा। आयोग का अध्यक्ष 05 जुलाई, 2021 से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यभार संभालेगा।

[फा. सं. आर-21011/10/2021-ईपी-III]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and in pursuance of sections 4 and 6 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby constitutes the National Commission for Homoeopathy, namely:—

2. The composition of the National Commission for Homoeopathy shall consist of the following persons, namely:—

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Anil Khurana, Director General, Central Council for Research in Homoeopathy and Chairman, Board of Governors, Central Council of Homoeopathy.	Chairperson
under sub-section (3) of section 4		
1.	Dr. Tarkeshwar Jain, the President of the Homoeopathy Education Board;	Member- <i>ex-officio</i> ;
2.	Dr. K.R. Janardanan Nair, the President of the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy;	Member- <i>ex-officio</i> ;
3.	Dr. Pinakin N. Trivedi, the President of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy;	Member- <i>ex-officio</i> ;
4.	Advisor (Homoeopathy) or Joint Secretary to the Government of India in-charge of Homoeopathy in the Ministry of AYUSH;	Member- <i>ex-officio</i> ;
5.	The Director, National Institute of Homoeopathy, Kolkata,	Member- <i>ex-officio</i> ;
6.	The Director, North Eastern Institute on Ayurveda and Homoeopathy, Shillong,	Member- <i>ex-officio</i> ;
7.	The Director General, Central Council for Research in Homoeopathy, Janakpuri, New Delhi	Member- <i>ex-officio</i> ;

under clause (a) of sub-section (4) of section 4		
1.	Vacant	Part-time Member;
2.	Vacant	Part-time Member;
3.	Vacant	Part-time Member;
under clause (b) of sub-section (4) of section 4		
1.	Vacant	Part-time Member;
2	Vacant	Part-time Member;
3	Vacant	Part-time Member;
4	Vacant	Part-time Member;
5	Vacant	Part-time Member;
6	Vacant	Part-time Member;
7	Vacant	Part-time Member;
8	Vacant	Part-time Member;
9	Vacant	Part-time Member;
10	Vacant	Part-time Member;
under clause (c) of sub-section (4) of section 4		
1	Vacant	Part-time Member;
2	Vacant	Part-time Member;
3	Vacant	Part-time Member;
4	Vacant	Part-time Member;
5	Vacant	Part-time Member;
6	Vacant	Part-time Member.

6. The Commission shall come into force, with effect from 5th day of July, 2021. The Chairperson of the Commission shall hold office for a term of four years or until further orders, whichever is earlier, with effect from 5th day of July, 2021.

[F.No. R-21011/10/2021-EP-III]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2695(अ).— राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 58 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) को 05 जुलाई, 2021 से निरस्त करती है।

2. दिनांक 05.07.2021 से केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की भंग हो जाएगी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपना कार्यालय खाली कर देंगे।

[फा.सं. आर-21011/10/2021-ईपी-III]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 58 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby repeals the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) with effect from the 5th day of July, 2021.

2. The Central Council of Homoeopathy shall stand dissolved and the Board of Governors shall vacate their office with effect from 5th day of July, 2021.

[F.No. . R-21011/10/2021-EP-III]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.